न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट)/चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पीलीभीत।
विशेष परीक्षण सं. 1892/2022
राज्य प्रति पलविन्दर सिंह

धारा–138बी0 विद्युत अधिनियम
थाना–माधोटांडा, पीलीभीत।

विशेष लोक अदालत
दिनॉक : 29.01.2024

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त पलविन्दर सिंह व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया। सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण मे अभियुक्त पर बकाया अदा न किए जाने पर संयोजन विच्छेदित होने के उपरान्त एल.टी.लाईन पर कटिया डालकर विद्युत चोरी का आरोप है। पत्रावली पर कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड पीलीभीत द्वारा निर्गत पत्रांक अंतर्गत धारा 152 उत्तर प्रदेश विद्युत अधिनियम संशोधन 2003 उपलब्ध है जिसमे इस आशय का उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में उपभोक्ता द्वारा विद्युत विभाग का समस्त बकाया अदा कर दिया गया है।

उ.प्र. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 (2) उपधारा (1) प्रावधानित करती है कि उपधारा (1) के अनुसार धनराशि का संदाय कर दिए जाने पर उस अपराध के संबंध मे अभिरक्षा मे रह रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरूद्ध किसी दाण्डिक न्यायालय मे कोई कार्यवाही संस्थित नही की जाएंगी या जारी नही रखी जाएंगी।

चूंकि प्रस्तुत प्रकरण मे अभियुक्त द्वारा उ.प्र.विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 (2) उपधारा (1) के अनुसार धनराशि का संदाय किया जा चुका है अतः प्रस्तुत प्रकरण के कार्यवाही अभियुक्त के विरूद्ध निरस्त/समाप्त की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(डा0 शिवा पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत।